



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042024-253826
CG-DL-E-23042024-253826

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1684]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 23, 2024/वैशाख 3, 1946

No. 1684]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2024/VAISAKHA 3, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2024

(आयकर)

का.आ. 1771(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उप-धारा(2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री रामानुज कोट न्यास, इंदौर, मध्यप्रदेश (पैन: AAATR0970L) द्वारा संचालित “श्री रामानुज कोट लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर” को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए मध्य प्रदेश राज्य भर में ऐतिहासिक महत्व के स्थल तथा प्रसिद्ध प्रार्थना स्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

यह अधिसूचना “श्री रामानुज कोट लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर” के केवल नवीनीकरण अथवा मरम्मत के लिए 1,63,06,311/- (एक करोड़ तिरसठ लाख छह हजार तीन सौ ग्यारह रुपये मात्र) की सीमा तक वैध रहेगी तथा कथित राशि के संग्रहित होने के बाद अथवा दिनांक 31.03.2029 को, जो भी पहले हो, प्रभावी नहीं रहेगी।

[अधिसूचना सं. 40/2024/ फा. सं. 176/2/2023-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2024

(Income Tax)

S.O. 1771(E).— In the exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies “Shree Ramanuj Kot Laxmi Venkatesh Mandir” managed by Shree Ramanuj Kot Trust, Indore, Madhya Pradesh (PAN: AAATR0970L) to be place of historic importance and a place of public worship of renown throughout the state of Madhya Pradesh for the purposes of the said section.

The Notification will be valid only for the renovation or repair of the “Shree Ramanuj Kot Laxmi Venkatesh Mandir” to the extent of Rs. 1,63,06,311/- (Rupees One Crore Sixty Three Lakhs Six Thousand Three Hundred and Eleven only) and will cease to be effective after the said amount has been collected or on 31.03.2029, whichever is earlier.

[Notification No. 40/2024/ F. No. 176/2/2023-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director